प्रेस विज्ञप्ति

04.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई ने 2/09/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जाफर सादिक और सहयोगियों की 55.30 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इसमें 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि जेएसएम रेजीडेंसी होटल और एक शानदार बंगला, और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 महंगी गाड़ियां, जो आपराधिक गतिविधियों के जरिए हासिल की गई हैं।

यह कार्रवाई डीएमके के पूर्व पदाधिकारी और स्यूडोएफ़ेड्रिन और केटामाइन की तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल के कथित नेता जाफ़र सादिक अब्दुल रहमान की जांच के बाद की गई है। एनसीबी और सीमा शुल्क जांच के आधार पर ईडी की जांच में तमिलनाडु में 15 स्थानों पर तलाशी ली गई।

ईडी की जांच में पता चला कि जाफ़र सादिक अपने भाई मोहम्मद सलीम और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके स्यूडोएफ़ेड्रिन और अन्य मादक पदार्थों के निर्यात और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल था। वह अन्य व्यक्तियों और रिश्तेदारों के साथ विभिन्न फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों का निदेशक/साझेदार/प्रोप रहा है, जिसका उपयोग अपराध की आय को चैनलाइज़ करने और स्तरीकृत करने के लिए किया गया है। इस पूरे सेट अप का उपयोग अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित अपराध की आय (पीओसी) को रूट करने के लिए किया गया था। इसलिए, ईडी ने 26.06.2024 को जाफर सादिक को गिरफ्तार किया और 12.08.2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए पीएमएलए, 2002 के तहत मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि जाफर सादिक और उनके सहयोगियों ने रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण, आतिथ्य और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न वैध उपक्रमों में निवेश करके अपने ड्रग संचालन से पीओसी का शोधन किया। पीओसी को बैंक खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से इन निवेशों में लगाया गया था लॉन्डरिंग की गई धनराशि का उपयोग सादिक, उनकी पत्नी श्रीमती अमीना बानू, माइदीन गनी और अन्य लोगों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया, जिनमें श्री मोहम्मद मुस्तफा एस और श्री जमाल मोहम्मद जैसे बेनामी शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।